यह निरीक्षण प्रतिवेदनआख्या कार्यालय **खण्ड विकासअधिकारी,विकास खण्ड, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयीसूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय **प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड,चम्बा, टिहरी गढ़वाल**के माह **04/2019** से **03/2020**तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री श्याम करण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री राज कुमार, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.12.2020 से 02.12.2020 तक श्री पी. सी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी. आर. चौहान सहा.ले.प.अधि.तथा श्री केदार सिंह सहा.ले.प.अधि द्वारा दिनांक 07.05.2019 से दिनांक 15.05.2019 तक श्री बी. एस. चंदेल , वरि.ले.प.अधि. के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी जिसमें माह 04/2017 से 03/2019 तक केलेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच की गयी। वर्तमान मे माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच की गयी।

इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

भौगोलिक क्षेत्र: :35165हेकटेअर

जनसंख्या: :51409(2011 की जनगणना के अनुसार

निर्वाचित सदस्यों की संख्या: :40

क्षेत्र पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:02

उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या: 06

कर्मचारियों की संख्या: :26

क्षेत्र पंचायत की संपत्तियाँ:कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन

जिला पंचायत के अपने प्रोजेक्ट:------

योजनाओं की संख्या: आय-व्यय विवरण के अनुसार

(अ) सामाजिक संरक्षा:

(ब) रोजगार सृजन से संबन्धित:

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें:

(द) लाभार्थियों की संख्या:

वर्ष में कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली व बकाया राशि: आय-व्यय विवरण के अनुसार

वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय-व्यय विवरण के अनुसार

क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया: हाँ

(ii) (अ) विगततीनवर्षोंमेंबजटआवंटन एवंव्ययकीस्थितिनिम्नवतहैः

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, विकास खंड चम्बा, जनपद–टिहरी गढ़वाल का 2017-18 काआय व्यय का विवरण; (धनराशिरु. लाख में)

	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियॉ	कुल प्राप्तियॉ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017–18	13वांवित्त	7.32	0.97	8.29	2.15	6.14
	सांसदनिधि	2.03	3.50	5.53	3.99	1.54
	विधायकनिधि	166.36	280.29	446.65	288.98	157.67
	राज्यवित्त	32.74	55.60	88.34	53.04	35.30
	क्षेत्रपंचायत विकास निधि	4.28	6.23	10.51	0.00	10.51
	मनरेगा	0.00	676.99	676.99	676.99	0.00
	मनरेगाप्रशासनिक मद	0.87	34.85	35.72	34.33	1.39
	मेरागाँव मेरी सड़क	20.11	0.71	20.82	7.07	13.75
	आँगनबाड़ी भवन	3.91	26.42	30.33	19.93	10.40
	एनआरएलएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	**237.62**	**1085.56**	**1323.18**	**1086.48**	**236.70**

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, विकास खंड चम्बा]जनपद–टिहरी गढ़वालका 2018-19 काआय व्यय विवरण(धनराशिरु. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
	13वां वित्त	6.14	0.12	6.26	5.66	0.6
2018—19	सांसदनिधि	1.54	17.46	19	8.92	10.08
	विधायकनिधि	157.67	236.51	394.18	283.35	110.83
	राज्यवित्त	35.30	64.03	99.33	57.45	41.88
	क्षेत्रपंचायत विकास निधि	10.51	0.00	10.51	10.51	0
	मनरेगा	0.00	643.68	643.68	643.68	0
	मनरेगाप्रशासनिक मद	1.39	33.29	34.68	34.68	0
	मेरागाँव मेरी सड़क	13.75	0.00	13.75	10.79	2.96
	आँगनबाड़ी भवन	10.40	3.23	13.63	11.76	1.87
	एनआरएलएम	0.00	0.00	0	0.00	0
	विधायकनिधि योजना मनरेगा डबटेल	0.00	45.16	45.16	17.65	27.51
	ब्याज	0.00	0.00	0	0.00	0
	कुल योग	**236.7**	**1043.48**	**1280.18**	**1084.45**	**195.73**

कार्यालय खंड विकास अधिकारी, विकास खंड **चम्बा** जनपद–**टिहरी गढ़वाल** का 2019.20 **काआय** व्यय विवरण।

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
19 |	13वांवित्त	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00

	सांसदनिधि	10.08	28.60	38.68	24.30	14.38
	विधायकनिधि	110.83	148.55	259.38	169.75	89.63
	राज्यवित्त	41.88	102.96	144.84	36.76	108.08
	क्षेत्रपंचायत विकास निधि	0.00	0.61	0.61	0.61	0.00
	मनरेगा	0.00	574.54	574.54	574.54	0.00
	मनरेगाप्रशासनिक मद	0.00	5.96	5.96	5.96	0.00
	मेरागाँव मेरी सड़क	2.96	0.02	2.98	0.00	2.98
	आँगनबाड़ी भवन	1.87	1.00	2.87	1.04	1.83
	एनआरएलएम	0.00	8.32	8.32	7.39	0.93
	विधायकनिधि योजना मनरेगा डबटेल	27.51	0.00	27.51	15.92	11.59
	कुलयोग	**195.73**	**870.56**	**1066.29**	**836.87**	**229.42**

(ब) केन्द्रपुरोनिधानितयोजनाओंकेअन्तर्गतप्राप्तनिधिएवंव्ययविवरणनिम्नवतहैः

भाग-I. 2(ii)(स)						
कार्यालय क्षेत्र पंचायत चम्बा, जनपद- टिहरी गढ़वालका केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गतप्राप्त निधि एवं व्यय का विवरण(धनराशिरु. लाख में)						
वर्ष	योजना का नाम	पूर्व वर्ष का अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान व्यय	अन्तिम अवशेष
2017-18	केंद्र वित्त	**7.32**	**0.97**	**8.29**	**2.15**	**6.14**
	सांसद निधि	2.03	3.50	5.53	3.99	1.54
	एन0आर0एल0एम0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मनरेगा	0.00	676.99	676.99	676.99	0.00
	मेरा गाँव मेरी सड़क	20.11	0.71	20.82	7.07	13.75
2018-19	केंद्र वित्त	6.14	0.12	6.26	5.66	0.60
	सांसद निधि	1.54	17.46	19.00	8.92	10.08
	एन0आर0एल0एम0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	मनरेगा	0.00	643.68	643.68	643.68	0.00
	मेरा गाँव मेरी सड़क	13.75	0.00	13.75	10.79	2.96
2019-20	केंद्र वित्त	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00
	सांसद निधि	10.08	28.60	38.68	24.30	14.38
	एन0आर0एल0एम0	0.00	8.32	8.32	7.39	0.93
	मनरेगा	0.00	574.54	574.54	574.54	0.00
	मेरा गाँव मेरी सड़क	2.96	0.02	2.98	0.00	2.98

(iii) इकाई को बजट आवंटननिदेशालय,पंचायतीराजद्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई**"ब"** श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

मुख्य सचिव

↓

सचिव, पंचायतीराज

↓

निदेशक,पंचायतीराज

↓

खण्ड विकास अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी,विकास खंड -चम्बा, टिहरीगढ़वाल**की लेन देन की लेखापरीक्षा के साथ-साथ 05 चयनित ग्राम पंचायतों[पाटा,डारगी, विरोगी, बागी (सारजुला), गुनोगी (दिखोल)] की लेखा परीक्षा को भी आच्छादित किया गया है। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी,विकास खंड -चम्बा, टिहरीगढ़वाल**की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **04/2019** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया, उक्त माह का विस्तृत विश्लेषण किया गया। चयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 14, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग II-'ब '

प्रस्तर 1: विभागीय पी.एल.ए. का संचालन न किया जाना तथा विभिन्न योजनाओं पर अर्जित ब्याज की धनराशि ` 8.77 /- लाख का राजकोष में जमा न कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 16/xxvii(14)/2017 दिनांक 17.04.2017 के द्वारा समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को विभिन्न बैंकों में जमा सरकारी धन को कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी.एल.ए.) में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था। शासनादेशानुसार समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि,**"सुसंगत लेखाशीर्षक के अधीन कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी.एल.ए.) यदि पूर्व में न खुला हो, खुलवाना सुनिश्चित करें तथा समेकित निधि से आहरित वे सभी धनराशियाँ जो बैंक में रखी गयी हों अथवा सावधि (फिक्स डिपोजिट) जमा में रखी गयी हैं, को तत्काल कोषागार के विभागीय पी.एल.ए. में जमा कर दिया जाये। पी.एल.ए. से तत्काल आवश्यकता की धनराशि ही आहरित की जाये एवं बैंक में ऐसी धनराशियाँ सामान्य जमा या सावधि जमा में न की जायें। "**

उपरोक्त शासनादेशानुसार विभिन्न बैंक खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष के लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ – 04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया जाना था।

कार्यालय, खंड विकास अधिकारी, विकास खंड चम्बा, टिहरी गढ़वाल के आय व्यय विवरण, बैंक पास बुकों, कैश-बुक लेखा-अभिलेखों कीनमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा पीएलए खाता नहीं खुलवाया गया था एवं शासन से विभिन्न योजनाओं पर प्राप्त अनुदान- पर अर्जित ब्याज एवं जमा किए गए ब्याज का वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक काविवरण निमन्वत है :-

ब्याज का विवरण वर्ष 2018–19 विकास खण्ड चम्बा टिहरी गढ़वाल

क0सं0	योजना का नाम	गत वर्ष का अवशेष	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल ब्याज	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	विधायक निधि	2031	471775	473806	473787	19
2	एन0आर0एल0एम0	0	0	0	0	0
3	मनरेगा	15725	13815	29540	29540	0
4	ऑगनबाडी केन्द्र	131551	22579	154130	354	153776
5	मेरा गाँवमेरी सड़क	294156	128804	422960	904	422056
	योग	443463	636973	1080436	504585	575851

ब्याज का विवरण वर्ष 2019–20 विकास खण्ड चम्बा टिहरी गढ़वाल

क0सं0	योजना का नाम	गत वर्ष का अवशेष	वर्ष में प्राप्त धनराशि	कुल ब्याज	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि
1	विधायक निधि	19	422228	422247	207174	215073
2	एन0आर0एल0एम0	0	9156	9156	0	9156
3	मनरेगा	0	2737	2737	327	2410
4	ऑगनबाडी केन्द्र	153776	30272	184048	17381	166667
5	मेरा गाँवमेरी सड़क	422056	61979	484035	0	484035
	योग	**575851**	**526372**	**1102223**	**224882**	**877341**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि ब्याज की कुल धनराशि ` 8.77 लाख बैंक खातों में अवरुद्ध थी एवं संबन्धित लेखाशीर्ष में जमा नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि पीएलए खाता खुलवाने हेतु मुख्यालय से पत्राचार किया जाएगा एवं ब्याज की धनराशि शीघ्र ही राजकोष में जमा करा दी जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अर्जित ब्याज की धनराशि ₹ 8.77 लाख लेखा परीक्षा तिथि तक (दिसम्बर 2020) राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा नहीं कराई गई थी।

अतः इकाई द्वारा ब्याज की धनराशि ₹ 8.77 लाख को राजकोष में जमा न कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 2:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6.82 लाख व्यय उपरान्त कोई SHG का क्रियाशील न होना।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के तेजी से विकास के बावजूद, ग्रामीण स्तर पर अनेक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। उक्त गरीबी रेखा को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने मिशन मोड स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के रूप में 2010 में नामित किया गया, यदपि इसका क्रियान्वयन मार्च 2016 से प्रभावी हो सका। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। भारत सरकार (GoI) एवं उत्तराखण्ड सरकार (GoU) का उक्त योजना में 90:10 का फंडिंग पद्धति है। मिशन का उद्देश्य 2023-24 तक सभी ग्रामीणों के गरीब परिवारों को इससे जोड़ने का प्रयास है।

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिये स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है, जिससे वे गरीबी से बाहर आये। गरीबों के संस्थानों तक औपचारिक ऋण तक पहुँच की सुविधा, विविधकरण के लिये समर्थन और आजीविका को मजबूत करना और उनके एंटाईटल और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच सुचारु करना है।

प्रत्येक ग्रामीण गरीब घरों का एक सदस्य (अधिमानतः एक महिला) होगा, जो कि स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के तहत लाया जाय, जिसका बैंक से लिंकेज की व्यवस्था होगी। मिशन के चार घटक शामिल है, (i) सामाजिक लामबंदी, समुदाय संस्था और क्षमता निर्माण (ii) वित्तीय समावेशन (iii) आजीविका संवर्धन; और (iv) अभिसरण

NRLM के तहत परिकल्पित संस्थागत संरचना स्वयं सहायता समूहों (SHG) की स्थापना करें। प्रत्येक SHG में 10-20 घर हो सकते हैं। एक सदस्य प्रत्येक गरीब परिवार से SHG नेटवर्क के तहत लाया जायेगा, जो कि महिला होगी। इन SHG को स्टार्टअप फंड`1500 दिया जायेगा उसके उपरान्त रिवोलविंग फंड, सी.आई.एफ. एवं बैंक के माध्यम से CCL प्रदान किया जायेगा, जिससे कि वे लोग स्वयं का रोजगार कर सकें एवं विपणनकर आजीविका प्राप्त कर सकें। इसे आगे मनरेगा से जोड़कर Job Card भी प्रदान किया जायेगा। इस योजना में SHG, 64 प्रकार के कार्य कर सकते हैं।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, चम्बा (टिहरी) के NRLM सम्बन्धी अभिलेखों एवं रिपोर्टों की जाँच में पाया गया कि उक्त ब्लॉक में यह योजना वर्ष 2019-20 से प्रारम्भ की गयी थी। जिसमें से 91 SHG का गठन हो चुका थाउनमें से 55 SHG को `1500 की दर से `82500.00, रिवोलविंग फंड के रूप मे 60 SHG को `6.00 लाख निर्गत किये गये थे।

जाँच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत किसी भी SHG को CCL के रूप लोन प्राप्त नहीं था। इस प्रकार वर्ष 2019-20 तक कोई भी SHG सक्रिय नहीं हो पायी थी।

योजना की शिथिल गति के कारण पूछने पर बताया गया कि समूह की महिलाओं को योजना के प्रति जागरूक किया जा रहा है तथा अन्य SHG को बैंक लिंकिज से जोड़ने का प्रयास वर्तमान में कार्यशील है, प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रस्तावित है।

योजना प्रारम्भ हुये चार वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, जो कार्य अभी हो रहे हैं उन्हे पहले भी करके कम से कम 60 से 70% तक आजीविका स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 3:- रॉयल्टी की कटौती न किए जाने के कारण ` 71071 के राजस्व की हानि |

उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 54 के अनुसार रॉयल्टी की धनराशि को कटौती के 15 दिनों के अन्दर राजकोष के संम्बन्धित लेखा शीर्ष (085300104000000) में जमा किया जाना चाहिए। कार्यालय विकास खंड,चम्बा, टिहरी गढ़वाल की मनरेगा से संबन्धित निर्माण पत्रवालियों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्यों से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी यद्यपि एमबी में इसकी गणना की गयी है जिसका विवरण निमन्वत है:-

क0सं0	पंचायत का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत (रू0 में)	रॉयल्टी की कटौती जो की जानी थी(एमबी के अनुसार)	रॉयल्टी की कटौती जो की गई	अन्तर(A)
1	कोलधार	चहल निर्माण बड़ियालधार	98660	7854	0	7854
2	केमवालगाँव	भूमि सुधार कार्य चोपड़ी खाल	498823	16940	0	16940
3	खूरेत	बरसाती टंक निर्माण	41625	1848	0	1848
4	सुदाड़ा	फार्म पाउंड निर्माण	70000	1557	0	1557
5	कुड़ियालगाँव	गूल निर्माण अखोडिया फगलिया नामे तोक	449704`	18480	0	18480
6	खंडवालगाँव	सामूहिक हौज निर्माण खाला नामे तोक	400000	1500	0	1500
7	काखवाही	बरसाती टंक निर्माण	41625	1540	0	1540
8	वालमा	कच्चा खड़िञा/निर्माण दीवार	199937	15999	0	15999
9	पासनी	गूल निर्माण कार्य	481641	5353	0	5353
					योग	**71071**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की 2018-19 एवं 2019-20 में कुल **रु. 71071** की कटौती नहीं की गयी । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबंधितों से स्पष्टीकरण प्रकट कर भविष्य में योजनाओं पर रॉयल्टी काटने के निर्देश दिये गए हैं एवं अनियमितता होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्यों कि नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती कर 15 दिन के भीतर राजकोष में जमा करा दी जानी चाहिए थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर4:-विभिन्न मदों के बैंक खातों में ब्याज के रूप में प्राप्त धनराशि ` 2,16,578/- को राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखंडशासनपत्रांकसंख्या 347/वि॰आ॰निदे॰ (तृ॰रा॰वि॰आ॰)/ 2013 दिनांक17.01.2013तथा पत्र संख्या: 16/xxvii(14)/2007 दिनांक: 17.04.2017 केअनुसारविभिन्नस्रोतोंसेप्राप्तकुलधनराशिएवमउसपरब्याजकेवर्षवारविवरणउपलब्धकरातेहुएब्याजकीधनराशिकोराज़कोषमेंजमाकियाजानाचाहिये।

खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- चम्बा की लेखापरीक्षा के दौरान गैर-डी०डी०ओ० लेखापरीक्षा हेतु चयनित 05 पंचायतों की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि पंचायतों केविभिन्नबैंकखातोंसेब्याजकेरूपमें`**2,16,578/-** कीधनराशिप्राप्तहुईथीजिसका विवरण निमन्वत है-

क्रम सं	पंचायत का नाम	ब्याज धनराशि
1	बागी	27,814
2	बिरांगी	68,827
3	डारगी	33,800
4	पाटा	46,839
5	दिखोल(उदयकोट)	39,298
	योग	**2,16,578/-**

शासनपत्रांकसंख्या: 16/xxvii(14)/2007 दिनांक: 17.04.2017 केअनुसार इस धनराशि को लेखाशीर्षक-0049-ब्याज प्राप्ति-04-अन्य प्राप्तियाँ-800-अन्य प्राप्तियाँ-12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ-01- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ मे जमा कराया जाना चाहिए था परंतु पाया गया कि ब्याज कि धनराशि खातों मे पड़ी है तथा इसी राजसात नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षाद्वाराइंगितकिएजानेपरसभी पंचायतोंद्वाराबतायागयाकिब्याजकीधनराशिकोशीघ्रराजकोषमेंजमाकरादियाजाएगातथा भविष्य मे इसकी पुनरावृत्ति से बचा जाएगा।

प्रकरणअवशयककार्यवाहीहेतुसंज्ञानमेलायाजाताहै।

भाग-III

(क) परिचयात्मक :कार्यालय**खण्ड विकास** अधिकारी,**विकास खण्ड,चम्बा, टिहरी गढ़वाल** केमाह04/2019 से03/2020 तककेलेखाअभिलेखोंपरनिरीक्षणप्रतिवेदनजोश्रीललित थपलियाल,सहायकलेखापरीक्षाअधिकारी,श्रीश्याम करण सिंह,सहायकलेखापरीक्षाअधिकारीएवंश्री राज कुमार, वरि. लेखापरीक्षक द्वारादिनांक21.11.2020 से02.12.2020 तकश्रीपी. सी. श्रीवास्तव,वरिष्ठलेखापरीक्षाअधिकारीकेआंशिकपर्यवेक्षणमेंसम्पादितकी गयी ।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या	STAN प्रस्तर संख्या
प्रतिवेदन संख्या /---/2013-14	शून्य	02,03 एवं 05	शून्य
प्रतिवेदन संख्या /59/2017-18	शून्य	02,	शून्य
प्रतिवेदन संख्या /08/2019-20	शून्य	01एवं 02	शून्य

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रतिवेदन संख्या /08/2019-20	इकाई द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।			

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-----शून्य-----

भाग – V
आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु**कार्यालय खंड विकास अधिकारी, विकास खंड -चम्बा, टिहरीगढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i) } शून्य
(ii)

2. सतत अनियमितताएँ**:** **शून्य**
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	**श्री ध्यान सिंह रावत**	**खण्ड विकास अधिकारी**	06.01.2020 से वर्तमान तक
02.	**श्री मान सिंह राणा**	**खण्ड विकास अधिकारी**	08.08.18 से 31.12.2019

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय खंड विकास अधिकारी , विकास खंड -चम्बा, टिहरीगढ़वाल**को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/ए.एम.जी.-1, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,द्वितीय तल,"महालेखाकार भवन", कौलागढ़,आई.पी.ई., देहरादून -248 195**को प्रेषित कर दी जाय।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-1